बिरहोरा को निम्नलिखित प्रकार से अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है :

बिरहोरा---बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल

बिरहूल---मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र

बिरहोर

1981 की जनगणना के अनुसार कोरवा तथा बिरहोरा की जनसंख्या विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) :

उन राज्यों के नामों के बारे में सूचना जिन्हें उपरोक्त नामों की विद्यमान दो अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षोपायों के लिए सहायता प्रदान की गई तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान नधाराशि प्रदान की गई है, एकत्र की गई है, एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन राज्यों में इन अनुसूचित जनजातियों के संबंध में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए अनुसंधान क्रियाकलाप चलाने हेतु कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है।

(इन अनुसूचित जनजातियों के) विकास के मार्ग में अड़चनों तथा इन अड़चनों को दूर करने संबंधी योजना के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार कोरवा तथा बिरहोरा की जनसंख्या निम्नलिखित है :---

कोरवा	बिहार	21940
कोरवा	पश्चिमी बंगाल	2493
कोरवा कोदक	मध्य प्रदेश	15340
बिरहोरा	पश्चिमी बंगाल	658
बिरहोरा	बिहार	4377
बिरहोरा	उड़ीसा	142
बिरहूल, बिरहोर	मध्य प्रदेश	561
बिरहूल, बिरहोर	महाराष्ट्र	212

पिछड़े वर्गों का प्रतिशत

3022. **श्री ईश दत्त यादव:** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है ; और

(ख) सरकार ने पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक-स्थिति सुधारने हेतु क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की प्रतिशतता के संबंध में जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं

हैं । तथापि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देश में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को 52% होने का अनुमान लगाया है ।

(ख) सरकार ने पिछड़े वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) सरकार ने 8-9-93 से सिविल सेवाओं तथा पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति का कियान्वयन किया है ।

(2) अन्य बातों के साथ-साथ, पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 13 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्थापित किया गया है ।

(3) प्रतियोगी तथा प्रवेश परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के साथ बराबरी के आधार पर प्रतियोगी होने योग्य बनाने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से परीक्षा-पूर्व कोचिंग प्रदान की जाती है ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये स्वीकृत धनराशि

3023. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष में कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों के लिए स्वीकृत की गयी थी ; और

(ख) स्वीकृत राशि में से विभागवार स्थापना व्यय का ब्यौरा क्या है तथा उनकी भलाई के लिए कितनी राशि खर्च की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **(नीचे देखिये)** ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

अनुसूचित जाति का कल्याण

क्रम सं०	योजना	1993-94 के दौरान निर्मुक्त राशि
1.	विशेष संघटक योजना की विशेष केन्द्रीय सहायता	2803.81
2.	अनुसूचित जाति विकास निगम	57.65
3.	नागरिक अधिकार संरक्षक अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (कल्याण निवारण) अधिनियम, 1989	16.75
4.	पुस्तक बैंक	36.90
5.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के होस्टल	0.64
6.	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	3.00